पत्र संख्या—————————
हिमाचल प्रदेश वन विभाग

दिनांक शिमला– 19/08/2020

प्रेषकः वन मण्डलाधिकारी
शिमला वन मण्डल शिमला।

प्रेषितः मुख्य अरण्यपाल शिमला वन वृत।

विषयः– डुम्मी से कड.याची सड.क निर्माण बारे।

ज्ञापन,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या 40 दिनांक 05.05.2020 के सन्दर्भ मे शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों बारे में वन परिक्षेत्र तारा देवी, अधिशासी अभियंता हि0 प्र0 लो0 नि0 वि0 मण्डल न0–1 शिमला तथा डूम्मी पंचायत से पत्राचार किया गया। इसमें जो तथ्य सामने आए है, उनका बिन्दुवार ब्यौरा निम्न से हैः–

1. यह सत्य है कि प्रस्तावित सड.क की DPR 2006–07 में नाबार्ड फंड के तहत तैयार की गई थी। यह प्रस्तावित सड.क डूम्मी से आरम्भ होकर बेवली धार,झौलो,शीड.ा गांव को जोड.ते हुए कड.याची में समाप्त होगी।
2. यह सत्य है कि ग्राम कड.याची को सड.क मार्ग से जोड.ा जा चुका है। यह सड.क मार्ग डूम्मी के विपरीत दिशा में स्थित है। डुम्मी पंचायत का उप–स्वास्थ्य केन्द्र कड.याची में स्थित है तथा डुम्मी से कड.याची की इस सड.क मार्ग से दूरी लगभग 30 कि0मी0 है। वर्तमान में बेवली धार, झौलो व शीड.ा गांव के लोगो को पैदल मार्ग से कड.याची पुंहुचना पड.ता है तथा रास्ते में खड्ड को पैदल पार करना पड.ता है । गम्भीर रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए तथा गर्भवती महिलाओं के लिए यह बहुत ही मुश्किले पैदा करता है। इस संड.क के निर्माण से इन गांवो के लोगो को कड.याची (10 कि0मी0 दूरी पर) तथा शिमला (12 कि0मी0 दुरी पर) दोनो स्थानों पर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेना सुगम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इन गांवो में उत्पादित सब्जियों तथा अन्य कृषि उत्पादों को समय पर कम लागत के साथ शहरी क्षेत्रों में पहुंचाना भी आसान हो जाएगा, जिससें इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। अतः यह स्पष्ट है कि इस प्रस्तावित सड.क द्वारा ग्राम डूम्मी,बेवली धार, झौलो और शीड.ा को कड.याची एवं शिमला से जोड.ा जा रहा है न कि यह सड.क केवल कड.याची को एक और सड.क मार्ग से जोड.ने के लिए प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त इस सड.क में वन भूमि में कुल 834 पेड.ों और 416 सैपलिंग का काटा जाना प्रस्तावित है। ग्राम शीड.ा से कड.याची के बीच वन भूमि पर कुल 8 पेड.ो व 23 सैपलिंग का काटा जाना प्रस्तावित है।
3. डूम्मी पंचायत के ग्राम पणेया से ग्राम शीड.ा के लिए पूर्व मे डुम्मी पंचायत द्वारा एक सड.क मार्ग प्रस्तावित था परन्तु इस रास्तें में एक बहुत बडी खाई होनें के कारण इस मार्ग को शीड.ा तक जोड.ा जाना सम्भव नही था जिस कारण इस मार्ग का निर्माण नही किया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि ग्राम पणेया से ग्राम शीड.ा तक सड.क का निर्माण सम्भव नही है तथा इस कारण ग्राम शीड.ा को डुम्मी कड.याची प्रस्तावित सड.क मार्ग द्वारा ही सड.क सुविधा से जोड.ा जा रहा है। यह प्रस्तावित सड.क मार्ग बेवली धार गांव के लगभग 200 मी0 नजदीक से गुजर रही है तथा झौलो गांव इस प्रस्तावित सड.क से जुड़ रहा है।

4. इस प्रस्तावित मार्ग में डुम्मी सें झौलो गांव तक सारी सरकारी भूमि लगती है तथा इसमें कुल 447 पेड. व 153 सैपलिंग आती है। झौलो से शीड.ा तक प्रस्तावित सड.क में वन भूमि व निजी भूमि दोनो आती हैं। इसमें वन भूमि में कुल 379 पेड. व 250 सैपलिंग आती है। शीड.ा से कड.याची गांव तक भी प्रस्तावित सड.क में वन व निजी दोनों प्रकार की भूमि आती है । तथा इसमें वन भूमि में कुल 8 पेड. व 23 सैपलिंग का काटना प्रस्तावित है। अतः यह स्पष्ट है कि इस प्रस्तावित सड.क मार्ग की वर्तमान संरेखण (alignment) में गांव झौलो तक कुल 447 पेड. व 153 सैपलिंग का काटा जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त दूसरी वैकल्पिक संरेखण (alignment) में पेड.ो की संख्या अधिक है तथा इसके अतिरिक्त और कोइ भी तीसरी वैकल्पिक संरेखण (alignment) तकनीकी रूप से संभव नही है।

ग्राम पोवाबो से डुम्मी तक 3.270 कि0मी0 सड.क का निर्माण वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार वन मंत्रालय, की स्वीकृति संख्या 9-HPB956/2006-CA/255 के तहत वर्ष 2007 में हुआ था, जिसमें कुल 262 वृक्षों तथा 421 सैपलिंग को काटने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई थी।

इसके अतिरिक्त डूम्मी पंचायत द्वारा लिखित रूप से यह स्पष्ट किया गया है कि शिकायतकर्ता गणेश ठाकुर नाम का कोई भी व्यक्ति पोवाबो गांव अथवा डूम्मी पंचायत का निवासी नही है तथा यह शिकायत विकास कार्यो में बाधा पहुंचाने के लिए की गई हैं

अतः उपरोक्त सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि वर्तमान में प्रस्तावित डूम्मी कड.याची सड.क की संरेखण (alignment) सही है जिसके द्वारा ग्राम बेवली धार,झौलो और शीड.ा को कड.याची एवं शिमला से जोड.ा जाएगा।

अतः प्राप्त मामला मूल रूप से आगामी कार्यावाही हेतू लौटाया जाता है।

वन अधिकारी शिमला,
शिमला वन मण्डल,
शिमला।
19.8.2020